(N17) (52)

नि/निग0/रीवा/2018/0746 (159)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म0प्र0

म0 23

1– रावेन्द्र सिंह तनय त्रिभुवन सिंह उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम डाढ तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2– लखपत सिंह तनय लल्लू सिंह उम्र 62 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डाढ तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ––– आवेदकगण

बनाम

1– लालबहादुर सिह तनय रंगदेव सिंह पेशा खेती निवासी ग्राम डाढ तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0 ––– अनावेदकगण

अधि0 श्री मदन मोहन श्रीवास्तव द्वारा पेश।
29-01-18

निगरानी विरूद्व आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के आदेश दिनांक 01–12–2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैः–

1– यह कि रेस्पा0 के द्वारा आराजी क0 54/2 व 12/2 स्थित ग्राम डाढ तहसील सेमरिया जिला रीवा है जिसके संबंध में रेस्पा0 के द्वारा धारा 129 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत राजस्व निरीक्षक सेमरिया के यहा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच कर प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक सेमरिया के यहा प्रस्तुत कर दिया जिस पर निगरानीकर्ता गण ने आपत्ति दिंनांक 19–12–17 को प्रस्तुत किया और आपत्ति निराधार लिख कर निगरानीकर्ता गण की आपत्ति निरस्त कर सीमांकन आदेश दिनांक 23–12–17 को पुष्टि कर दी गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत कि जा रही है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक [illegible]/निग0/रीवा/भू–रा0/2018/746 जिला–रीवा

रावेन्द्र सिंह/लालबहादुर सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 32/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक [illegible]-12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	